Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

कलावती बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 42 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के नाम से तहसील सूरतगढ़ के 9 डी.बी.एन. पटवार हल्का भांदवा वाली ढ़ाणी की जमाबंदी संवंत 2072–2075 जमांबदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 233 नया, 203 पुराना में पत्थर नम्बर 62/289 मु.न. 69 किला नम्बर 9/3/0.1060, 12/0.2530, 18/2/0.0420, 19/0.2530, 22/0.2530, 23/0.2530 में 1.1600 हैक्टेयर नहरी, पत्थर नम्बर 63/285 मु.न. 40 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/4, 2/6 में 0.2960 हैक्टेयर नहरी, 0.0320 गैं.मु. रास्ता कुल खाता 1.4880 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया के नाम से उक्त वर्णित रकबा में से चक 9 डी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 62/289 मु.न. 69 किला नम्बर 9/3, 12, 18/2, 19, 22, 23 में 1.1600 हैक्टेयर नहरी हेतु कोई रास्ता नहीं हैं। उक्त वर्णित के सबसे नजदीक स्वीकृतशुदा रास्ता इसी पत्थर नम्बर 62/289 मु.न. 69 के किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहा हैं। प्रार्थीया उक्त रास्ता से किला नम्बर 2 में से अपने किला नम्बर 9/3 में प्रवेश करती हैं। किला नम्बर 2 का रकबा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार रकबा राज दर्ज हैं। किला नम्बर 2 में रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थीया तहसील सूरतगढ़ के चक 9 डी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 62/289 मु.न. 69 के किला नम्बर 2 में 3 बिस्वा चौड़ा(0.038 हैक्टेयरं) पूर्वी दिशा में किला नम्बर 3 के चिपता हुआ उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीया के उक्त वर्णित रकबा मे जाने के लिए अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नही है, इसलिए चाहा गया रास्ता स्वीकार किया जाना उचित है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता रकबा राज की भूमि है इसलिए वर्तमान डी.एल.सी. की दुगनी दर से राशि जमा करवाने पर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 9 डी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 62/289 मु.न. 69 के किला नम्बर 2 में 3 बिस्वा चौड़ा(0.038 हैक्टेयरं) पूर्वी दिशा में किला नम्बर 3 के चिपता हुआ उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीया कलावती से उक्त रास्ता की भूमि 0.038 हैक्टेयर की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दूगुनी कीमत खजाना राज मे जमा करवाई जाकर उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे गै. मु. रास्ता के रूप मे दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़